

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6 परिशिष्ट-अ

श्री सुमेर मल, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जेतू पं0स0 भीनमाल जिला जालौर जिनकी जन्मतिथि 29.01.1965 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 25.08.1987 है।

श्री सुमेर मल, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जेतू पं0स0 भीनमाल जिला जालौर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के प्रावधानानुसार 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री सुमेर मल, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जेतू पं0स0 भीनमाल जिला जालौर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

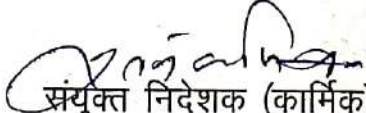
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-4/सुमेरमल/2016

दिनांक : 19.5.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जोधपुर
2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) पांली संभाग, पांली
3. जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जालौर
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति भीनमाल जिला जालौर
5. प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जेतू पं0स0 भीनमाल जिला जालौर
6. श्री सुमेर मल, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जेतू पं0स0 भीनमाल जिला जालौर
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर